प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 10.03.24

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार, कब्ज़े से चोरी के 02 कैन्टर , 03 मोबाईल ,02 तमंचे , 03 जिन्दा कारतूस , 01 चाकू व घटना में प्रयुक्त कार बरामद ।

दिनांक **06.03.2024** को वादी द्वारा दी गयी तहरीर जिसमें अज्ञात चोरों द्वारा वादी के कैन्टर चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना विजयनगर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।
घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया सभी टीमों द्वारा अथक प्रयास एवं मोबाइल सर्विलांस, मैनुअल इटेलिजेन्स एवं लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 09.03.2024 को घटना कारित करने वाले **03** अभियुक्त 1. वकील 2. जमशेद 3. मौहम्मद को कोटगांव फाटक अम्बेडकर रोड तिराहे के पास, से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का करने का तरीका- अभियुक्तों का वाहन चोरी का बड़ा गैंग जो एनसीआर , गाज़ियाबाद व आस पास के राज्यों में रोड पर खड़े कैन्टर व गाड़ियों को टारगेट कर उनकी रैकी करके चोरी करते है और अन्य राज्यों मे बेचकर आर्थिक लाभ कमाते है यह गैंग काफी दिनो से गाज़ियाबाद मे सक्रिय होकर थाना क्षेत्र में बड़े वाहन की चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। आज दिनाक 09.03.2024 को चेकिग के दौरान 03 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण: – गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि साहब हम लोगो का एक गैंग है जो गाजियाबाद , एनसीआर व आस पास के राज्यों में रोड पर खड़े कैन्टर व बड़े वाहन की रैकी करते है तथा रात को उनको चोरी करके ले जाते है। जिसे हम लोग बाहर के राज्यों में बेच देते है तथा जो पैसा मिलता है उसे आपस में बांट लेते है।

<u>नाम पता अभियुक्त</u>

1. वकील पुत्र स्व0 सलामत उर्फ शराफत निवासी सिरसी थाना हजरतनगर गढ़ी जिला सम्भल उम्र 45 वर्ष।
2. जमशेद अली पुत्र सपीर निवासी सैफ का सराये थाना कोतवाली जिला सम्भल उम्र 21 वर्ष।
3. मौहम्मद सालिम पुत्र स्व0 इदरीश निवासी मोहल्ला ठेठ दरीवा थाना कोतवाली जिला सम्भल उम्र 23 वर्ष।

<u>बरामदी का विवरण:-</u>

- 02 कैन्टर
- 03 मोबाईल।
- 02 तमंचे व 03 जिन्दा कारतूस ।
- 01 चाकू
- 01 आई – 20 कार घटना में प्रयुक्त।

<u>अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास</u>

- अभियुक्त वकील पर - 15 अभियोग चोरी व आर्म्स एक्ट के भिन्न भिन्न जनपद में पंजीकृत है।
- अभियुक्त जमशेद अली पर 25 अभियोग चोरी व आर्म्स एक्ट के भिन्न भिन्न जनपद में पंजीकृत है।
- अभियुक्त मौहम्मद सालिम पर 26 अभियोग चोरी व आर्म्स एक्ट के भिन्न भिन्न जनपद में पंजीकृत है।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम

स्वॉट टीम डीसीपी ट्रान्स हिन्डन जोन व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा खण्डर पडी बिल्डिंग में हत्या कर शव की पहचान छिपाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मृतक जयकिशोर की रक्तरंजित जैकेट बरामद ।

दिनांक 23.02.2024 को थाना कौशाम्बी क्षेत्रान्तर्गत 01 अज्ञात व्यक्ति का शव आनन्द बिहार बॉर्डर के पास स्थित खण्डर बिंल्डिग में चतुर्थ तल पर मिला और थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया था। मृतक की शिनाख्त जय किशोर तिवारी के रुप में हुई थी। दिनांक 26.02.2024 को मृतक जय किशोर तिवारी के बेटे राज दीपक तिवारी की लिखित तहरीर के आधार पर 01 अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके उपरान्त दिनांक 09.03.2024 को स्वॉट टीम डीसीपी ट्रान्स हिन्डन जोन व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस व मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त जयकिशन पुत्र स्व0 दुक्का ठाकुर हाल निवासी सनार्दन का मकान कमला हाल से आगे आदर्श कॉलोनी थाना विजयनगर गाजियाबाद मूल निवासी केशवपट्टी थाना कल्याणपुरी जनपद समस्तीपुर बिहार उम्र लगभग 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त जयकिशन की निशानदेही पर मृतक की रक्तरंजित जैकेट बरामद की गयी। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

पुछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त जयकिशन पुत्र स्व0 दुक्का ठाकुर ने पूछताछ में बताया कि मेरी दिनांक 17.02.2024 को आनन्द विहार बॉर्डर पर शराब की दुकान पर शराब पीने के दौरान जयकिशोर से बातचीत हुई और मृतक जयकिशोर को शारिरीक संबंध बनाने के लिये मैने 500/-रु0 दिये थे। जब हम शारिरीक संबंध बनाने के लिये बिल्डिंग में ऊपर पहुंचे तो जयकिशोर मुझसे और अधिक पैसे की मांग करने लगा तथा पैसे न देने पर मेरी बदनामी करने की धमकी देने लगा और मेरे द्वारा दिए गए 500/-रु0 भी देने से मना कर रहा था तथा मुझसे शारिरीक संबंध बनाने से भी मना कर रहा था। इसी बात से नाराज होकर जय किशोर हाथपाई करने लगा तब मैने पास रखी हुई ईंट से मृतक जयकिशोर के सर पर कई बार हमला कर उसकी हत्या कर दी और मृतक जयकिशोर का शव पहचान में न आए इसके लिये मैंने ईंट से कई बार हमला कर उसका मुँह बिगाड़ दिया और उसकी जैकेट उतारकर अपने हाथ और पैरों पर लगे खून को साफ कर जैकेट को झाडियों में फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

जयकिशन पुत्र स्व0 दुक्का ठाकुर **हाल निवासी** सनार्दन का मकान कमला हाल से आगे आदर्श कॉलोनी थाना विजयनगर गाजियाबाद **मूल निवासी** केशवपट्टी थाना कल्याणपुरी जनपद समस्तीपुर बिहार उम्र लगभग 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- मृतक जयकिशोर की रक्तरंजित जैकेट।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

अभियुक्त जयकिशन पुत्र स्व0 दुक्का ठाकुर के विरूद्ध जनपद गौतमबुद्धनगर में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

स्वॉट टीम डीसीपी ट्रान्स हिण्डन व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 10.03.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त सफीक पुत्र अब्बल निवासी म0नं0 274 गली नं0 15 न्यू सीमापुरी थाना सीमापुरी, दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष को तिकोना पार्क के पास शालीमार गार्डन से 01 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

सफीक पुत्र अब्बल निवासी म0नं0 274 गली नं0 15 न्यू सीमापुरी थाना सीमापुरी, दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष।

बरामदगी विवरण

- 01 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

- गिरफ्तार अभियुक्त सफीक पुत्र अब्बल थाना शालीमार गार्डन पर चोरी के सम्बंध में 04 अभियोग, एनडीपीएस एक्ट के सम्बंध में 01 अभियोग व मारपीट / सीएलए एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम